राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री रामकुमार टाक, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या— 58/2023
2. आर0सी0एम0एस0 संख्या— 2023/164
3. दायर दिनांक—12.09.2023
4. निर्णय दिनांक— 11.03.2025

उनवानी—

1. रामप्रताप सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति दरोगा निवासी रूपनगढ़ हाल नि0 आजाद नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

_वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

_प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति— 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी वकील वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की स्वामित्व, आधिपत्य, एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू-अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ मे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 837 के ख0न0 1660 रकबा 1.5613 हैक्ट0, ख0न0 3829/1653 रकबा 0.3842 हैक्ट0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.9455 हैक्ट0 जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी में वादी का नाम प्रतापसिंह दर्ज है जो कि सहवन से गलत इन्द्राज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राम प्रताप सिंह है जिसको दुरूस्त करवा कर प्रतापसिंह के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम राम प्रताप सिंह का इन्द्राज करवा कर राम प्रताप सिंह पुत्र जगदीश सिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। जिसको दुरूस्त कर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करवा कर वादी का सही नाम राम प्रताप सिंह होने से वादी अपने राजस्व रिकार्ड में स्वयं का सहवन से दर्ज गलत नाम प्रताप सिंह के स्थान पर राम प्रताप सिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। इसलिये वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड में वादी का नाम राम प्रताप सिंह दर्ज है। वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम प्रतापसिंह का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम राम प्रताप सिंह है। उक्त खाते में वादी के नाम घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रतापसिंह के नाम को शुद्धिकरण करवा कर वादी का सही नाम राम प्रताप सिंह के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल व अपने आधार कार्ड पहचान के दस्तावेज लेकर बैंक जाने पर अधिकारियों ने कहा उक्त कृषि भूमि मे तुम्हारा नाम प्रतापसिंह है तथा पहचान के दस्तावेज में राम प्रताप सिंह है इसलिये लोने देने में असमर्थ है। तब वादी को जानकारी में आया। इसलिये वादी को माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी भूमिधारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान दर्ज किये गये तथा वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड,, जनाधार कार्ड की प्रतिलिपियां पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण में वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का गलत नाम प्रतापसिंह दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राम प्रताप सिंह के नाम उद्घोषणा की डिक्री प्रदान करके उक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादी के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने दौराने बहस अपने जवाब को ही बहस माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज व साक्ष्य यथा परिवार राशन कार्ड प्रतिलिपि, बैंक पास बुक प्रतिलिपि, पेन कार्ड प्रतिलिपि, आधार कार्ड, प्रतिलिपि व ग्र्रम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर वादी का नाम रामप्रताप सिंह पुत्र जगदीश सिंह सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के खाता संख्या नया 837 के ख0न0 1660 रकबा 1.5613 हैक्ट0, ख0न0 3629/1653 रकबा 0.3842 हैक्ट0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.9455 हैक्ट0 की भूमि में वादी के दर्ज नाम प्रतापसिंह के स्थान पर राम प्रताप सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)